उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–01
संख्याः– 444 /XXX-1-2025–01(जांच)/2025
देहरादूनः दिनांक 03 जून, 2025

–:आदेश:–

जनपद हरिद्वार के ग्राम सराय में नगर निगम हरिद्वार द्वारा क्रय की गई 2.3070 हैक्टेयर भूमि में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग द्वारा प्रकरण की प्रारम्भिक जांच हेतु श्री रणवीर सिंह चौहान (IAS), सचिव गन्ना चीनी विभाग उत्तराखण्ड शासनको जांच अधिकारी नामित किया गया। शहरी विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त जांच अधिकारी की प्रारम्भिक जांच आख्या दिनांक 29–05–2025 में **श्री कर्मेन्द्र सिंह (IAS)**, तत्कालीन प्रशासक, नगर निगम, हरिद्वार/जिलाधिकारी हरिद्वार को अपने पदीय दायित्वों की अनदेखी करने, प्रशासक के रूप में भूमि की अनुमति प्रदान करते हुये निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किये जाने तथा नगर निगम के हितों को ध्यान में नहीं रखने, शासनादेशों की अनदेखी करने एवं नगर निगम अधिनियम–1959 की सुंसंगत धाराओं का उल्लघंन करने का प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया गया है, जिसके दृष्टिगत यह स्थापित होता है कि उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रथम दृष्ट्या इतने गम्भीर हैं, कि उनके स्थापित हो जाने के फलस्वरूप, उन्हें अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियम,1969 में उल्लिखित वृहद दण्ड दिया जा सकता है।

अतः अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम–3(1)(a) में प्रदत्त शक्ति के अधीन **श्री कर्मेन्द्र सिंह (IAS)** को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– श्री कर्मेन्द्र सिंह (IAS) को निलम्बन अवधि के दौरान अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासनएवं अपील) नियम, 1969 के नियम–4 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जीवन निर्वाह एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

3– श्री कर्मेन्द्र सिंह (IAS) के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप–पत्र निर्गत किये जाने एवं जांच अधिकारी नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जायेगी।

4– श्री कर्मेन्द्र सिंह निलम्बन अवधि में सचिव–कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

(शैलेश बगौली)
सचिव

<u>संख्या एंव दिनांक तदैव।</u>
<u>प्रतिलिपिः</u>–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

Enquiry-khan

3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
5. श्री कर्मेन्द्र सिंह (IAS), जिलाधिकारी, हरिद्वार।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. संयुक्त सचिव/आहरण वितरण अधिकारी, इरला चैक (लेखा-05) अनुभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. इरला चैक(लेखा-05) अनुभाग/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-03।
9. गार्ड फाईल।

(शैलेश बगौली)
सचिव

Enquiry-khan